

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/52/2019

अपीलार्थी
प्रतापसिंह एडवोकेट
कोर्ट कैम्पस, बहरोड

बनाम


पदाभिहित अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बहरोड

प्रवेश तिथि : 08.07.19

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम-2011
निर्णय

दिनांक: 31.07.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम-2011 अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिनांक: 30.05.19 पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कर उनके न्यायालय प्रकरण सरकार बनाम बस्तीराम वगै० धारा 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. में सम्पूर्ण ऑर्डरसीट की नकलें उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।
4. अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक: 30.05.19 पर कोई आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना-पत्र दिनांक: 24.06.2019 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट ए.डी.एम. प्रथम/RGDPSA अपील/2019/346-47 दिनांक: 08.07.2019 के माध्यम से तलब कर इस न्यायालय में दिनांक: 17.07.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। उभयपक्ष के दिनांक: 17.07.19 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पत्रांक: 447-48 दिनांक: 24.07.2019 के माध्यम से स्मरण-पत्र जारी कर न्यायालय में उपस्थित होन हेतु लिखा गया फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही किसी प्रकार का जवाब/आक्षेप आदि प्राप्त हुआ।
6. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक: 24.06.19 एवं संलग्न प्रा०पत्र दिनांक: 30.05.19 का परीक्षण किया। अपीलार्थी द्वारा प्रा०पत्र दिनांक: 30.05.19 के माध्यम से पदाभिहित अधिकारी को न्यायालय प्रकरण संबंधी पत्रावली से ऑर्डरसीट की नकलें प्राप्त हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रथम अपील प्रस्तुत करने की दिनांक: 24.06.19 तक भी पदाभिहित अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया जबकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक: 05.10.2011 में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्व न्यायालयों के निर्णय/आदेशों की नकलें उक्त अधिनियम अंतर्गत विधेयक की धारा 3 की परिधि में ली गई सेवा में शुमार कर अर्जेंट 24 घण्टे में व सामान्य 03 दिवस में प्रार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित किया गया है।
7. उक्त आलोक में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 30.05.19 पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्णय नहीं लिया जाकर निस्तारण में विलम्ब किया है उक्त के अतिरिक्त प्रथम अपील में बार-बार नोटिस जारी होने उपरान्त भी किसी प्रकार का जवाब/प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रथम अपील स्वीकार की जाती है एवं पदाभिहित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 07 दिवस में अपीलार्थी को आवेदन दिनांक: 30.05.19 में वांछित सूचनाएँ निःशुल्क ही विधिवत् रूप से प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें एवं साथ ही भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदकों द्वारा वांछित सेवाओं का विहित समयावधि में ही निपटान किया जाना सुनिश्चित करावें व इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर जवाब समय पर प्रस्तुत करें।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित।


प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)